

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 117/2025

- 1- जसकरण सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- हरदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- मनजीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4- जगजीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

- 1- कपूर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- किरणजीत कौर पुत्री जसकरण सिंह पत्नी गुरशेम्बर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
- 3- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 49-क आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता विभाजन एवं विनियम डिक्री

दिनांक :- 29/09/2025

वादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 व 49-क के अन्तर्गत वाद वादीगण निम्नलिखित अनुसार डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है :-  
क-वादी सं. 1 जसकरण सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :-

चक 25 जेआरके के प.नं. 16/246 (1) किला नं. 21, 22, 23/2/0.202 की 0.645 है 0 नहरी खातेदारी, चक 27 जेआरके के प.नं. 14/246 (6) किला नं. 10/4/0.139, 1 0.645 है 0 नहरी खातेदारी इस प्रकार दोनो चको की कुल 1.353 है 0 नहरी।

ख-वादी सं. 2 हरदीप सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :-

चक 27 जेआरके के प.नं. 14/246 (6) किला नं. 13, 14, 15/1/0.189, 15/2/0.025 की 0.720 है० नहरी मय खाला खातेदारी, चक 27 जेआरके के प.नं. 15/246 (7) किला नं. 22/2/0.1012, 23 की 0.3542 है० नहरी खातेदारी, प.नं. 14/247 (9) किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025 की कुल 0.759 हैक नहरी मय खाला खातेदारी इस प्रकार कुल 1.8332 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला।

ग-वादी प्रथम पक्ष सं. 3 मनजीत सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :-

चक 25 जेआरके के प.नं. 16/247 (12) किला नं. 1 ता 4, 7, 8/1/0.152 की कुल 1.417 है. नहरी, चक 27 जेआरके के प.नं. 14/246 (6) किला नं. 15/3/0.039, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18/1/0.089 की 0.634 है० नहरी मय खाला खातेदारी इस प्रकार दोनो चको की कुल 2.051 है. नहरी मय गैर मुमकिन खाला।

घ-वादी सं. 4 जगजीत सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :-

चक 27 जेआरके के प.नं. 14/246 (6) किला नं. 18/2/0.164 की 0.164 है० नहरी।

ड-प्रतिवादी सं. 1 कपूर सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :-

चक 27 जेआरके के प.नं. 14/246 (6) किला नं. 10/3/0.013 की 0.013 है० नहरी।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 को खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपस्थानक अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा